न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 86 / 2018

1. रामनारायण पुत्र मिश्रीलाल उम्र बालिग
2. लालचन्द पुत्र मिश्रीलाल उम्र बालिग
3. सायरी पुत्री मिश्रीलाल उम्र बालिग
4. प्रेम पुत्री मिश्रीलाल उम्र बालिग
5. अमित पुत्र रामगोपाल उम्र बालिग
6. अजय पुत्र रामगोपाल उम्र बालिग
7. अर्पिता पुत्र रामगोपाल उम्र बालिग
8. अमृता पुत्र रामगोपाल उम्र बालिग
9. प्रेम पत्नि रामगोपाल उम्र बालिग

समस्त जाती तेली निवासियान जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

————प्रार्थीगण

ब ना म

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर प्रसाद उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण
2. जगदीशप्रसाद पुत्र नेमीचन्द उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण
3. शकील मोहम्मद पिता शफी मोहम्मद उम्र बालिग जाति मुसलमान
4. ओमप्रकाश पिता बालूराम उम्र बालिग जाति ब्राहम्ण

   समस्त निवासीयान जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, भू– राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांकः 11.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा ग्राम जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा संख्या 2276 रकबा 04–13–00 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चले आते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त आराजीयाज की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय बिजयनगर द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी[illegible] खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने [illegible] जरिए [illegible] अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने [illegible] तरफा कार्यवाही [illegible] लाई गई।

प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

...........लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)

रामनारायण बनाम जगदीश व अन्य
प्रकरण संख्या 86/2018

बाद अवलोकन पाया कि ग्राम जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खसरा संख्या 2276 रकबा 04–13–00 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है।

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भू अभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा जालिया द्वितीय पटवार क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर की जमाबन्दी संवत् 2068–2071 के खसरा संख्या 2276 रकबा 04–13–00 भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 11.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर)

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:23 IST
Reason: SelfAttested